P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-8* April- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति का अध्ययन

मुहम्मद मुस्तकीम
असिस्टेंट प्रोफेसर,
बी0एड0 विभाग,
हलीम मुस्लिम पी0जी0 कालेज,
कानपुर

सारांश

वर्तमान समय में महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक कदम उठाये जा रहे है। भारत में महिलाओं के आर्थिक, सामजिक तथा राजनैतिक विकास के लिये करोड़ो रूपये व्यय किये जा रहे है तथा सरकार द्वारा उनके उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को निबार्ध गति से चलाया जा रहा है। निःसन्देह इन योजनाओं एवं कानून से महिलाओं को लाभ हुआ है और उन्होंने कुछ क्षेत्रों में प्रगति भी की है परन्तु, राजनैतिक, सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में जितनी प्रगति उनकी होनी चाहिये थी उतनी नही हुई है। प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं की राजनैतिक, सामाजिक शैक्षिक, आर्थिक स्थिति तथा उनके साथ होने वाली अपराधिक घटनाओं का समालोचनात्मक अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द : महिला सशक्तिकरण, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सुरक्षा एवं संरक्षण।

प्रस्तावना

भारत एक विशाल देश है जहाँ की आधी आबादी महिलाओं की है जो अपने समाज में सदियों से अपनी अस्मिता, सुरक्षा व अस्तित्व के लिये सघर्ष कर रही है, परन्तु सदियाँ बीत जाने के बाद भी उसकी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। 21वीं सदी में भी उसके साथ भेदभाव, अत्याचार, हिंसा तथा उत्पीड़न आदि हो रहा है। आज उसको दोयम दर्जे का समझा जा रहा है। आज वह अपनी पहचान को बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील है। वह प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ करनी चाहती है और अपने आपको सशक्त बनाना चाहती है। उसने राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा खेलकूद आदि क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को भी दर्ज कराया है। इन क्षेत्रों में जितनी उसकी भागीदारी होनी चाहिये थी अपेक्षाकृत उतनी नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। उनके उत्थान एवं विकास के लिये सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम चलाये है जैसे–बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं, सबला, निर्भया, स्वाधार गृह स्टेप, नारी पुरस्कार आदि। इसके अतिरिक्त उद्योग, खेलकूद आदि में प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न योजनाओं का निर्माण एवं आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है इसके बावजूद भी विभिन्न ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर महिलाओं की भागीदारी कम है या उनके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। जिस कारण वह न तो सशक्त हो पा रही है और न ही है वह विकास के रास्ते पर चला पा रही है। महिलाओं को प्रमुख रूप से जिन क्षेत्रों में सशक्त होना चाहिये, प्रस्तुत शोधपत्र में मुख्य रूप से राजनैतिक, सामाजिक,शैक्षिक तथा सुरक्षा एवं संरक्षण आदि क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने का प्रयत्न किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. रोजगार के क्षेत्र मे महिलाओं की स्थिति को ज्ञात करना।
2. राजनैतिक क्षेत्र मे महिलाओं की सहभागिता का अध्ययन करना।
3. महिलाओं की सुरक्षा एवं सरक्षण का अध्ययन करना।
4. महिलाओं की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन

मेमन (2000) ने अपने अध्ययन में कहा है कि ''कार्यबल में पुरूषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी भी सामाजिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है।''

शर्मा और साहा (2015) ने अपने अध्ययन ''फीमेल इम्पलाएमेन्ट ट्रेन्ड्स इन इण्डिया'' में कहा है कि देश का आर्थिक विकास महत्वपूर्ण रूप से उसकी

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-8* April- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

महिलाओं की भागीदारी दर पर निर्भर करता है क्योंकि वे इसके मानव संसाधन का लगभग पचास प्रतिशत होता है।

निशा और वेनथान (2018) ''महिलाओं को समाज में उचित स्थान और उन्हें स्वंय निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए, वास्तविक और स्थायी लोकतन्त्र के लिए महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी आवश्यक है। इससे न केवल उनके व्यक्तित्व का उत्थान होगा बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का रास्ता भी खुलेगा और सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी से समाज की नई समस्याओं का समाधान होगा।

राजेश कुमार (2018) ने अपने अध्ययन में पाया है कि ''महिलाओं की भागीदारी में शिक्षा की कमी एक प्रमुख चुनौती के रूप है जो उनके आगे बढने मे बाधा बनती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्धारा इस बाधा को दूर किया जा सकता है।''

रायचौधरी (2019) ने अपने लेख मे लिखा है कि ''श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी दर भारत में सबसे कम है वर्ष 2017 में केवल 27 प्रतिशत वयस्क महिलाओं के पास नौकरी थी।''

रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति

देश में रोजगार की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। बेरोजगारी दिन व दिन बढ़ती जा रही है। इसके अनेक कारण हो सकते है। जिससे महिला व पुरूष दोनों ही प्रभावित हो रहे। यदि हम महिलाओं का उत्थान एवं विकास करना चाहते है तो उन्हें आत्मनिर्भर बनाना होगा और उनके कार्यबल में सहभागिता दर में वृद्धि करनी होगी तभी वह सशक्त व आत्मनिर्भर होंगी। जब वह सशक्त होंगी तो देश सशक्त होगा। विश्व में जितने भी विकसित देश है वहाँ पर कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता अधिक है। इसलिए देश के विकास में पुरूष एवं महिला का समान अधिकार होना चाहिये। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट (भारतीय विकास रिपोर्ट) में कहा है कि भारत में महिलाओं की कार्यबल सहभागिता का स्तर बहुत निम्न है और महिला कार्यबल सहभागिता में भारत 131 देशों में 120वे पायदान पर आ गया है और भारत में नौकरी सृजन सीमित है।

भारत के श्रमबल में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ महिला कामकारों की कुल संख्या 149.8 मिलियन है तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिला कामगार क्रमशः 121.8 और 28.0 मिलियन है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार कुल 149.8 मिलियन महिला कामगारों में से 35.9 मिलियन महिलायें खेतिहर मजदूरी के रूप में, 61.5 मिलियन कृषक श्रमिक, 8.5 मिलियन घरेलू उद्योग में तथा शेष महिला कामगार तथा 43.9 मिलियन अन्य कामगारों के रूप में वर्गीकृत है। निम्न तालिका में महिला पुरूष का कार्यबल सहभागिता रेट को दर्शाया गया है।

तालिका – 1 महिला एवं पुरूष कार्यबल सहभागिता दर (डब्ल्यूपीआर)

सर्वेक्षण	शहरी		ग्रामीण	
	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
43वाँ	15.2	50.6	32.3	53.9
50वाँ	15.5	52.1	32.8	55.3
55वाँ	13.9	51.8	29.9	53.1
61वाँ	16.6	54.9	23.7	54.6
66वाँ	13.8	54.3	26.1	54.7
68वाँ	14.7	54.6	24.8	54.3

स्रोतः रोजगार एवं बेरोजगार सर्वेक्षण (एनएसएस)

उपरोक्त तालिका में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला एवं पुरूष का 1987–88 से 2011–12 तक का डब्ल्यू पी आर को दर्शाया गया है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं का डब्ल्यू पी आर शहरी क्षेत्रों की महिलाओं की अपेक्षा अधिक है। दूसरा मुख्य तथ्य यह है कि 43वाँ राउण्ड से 68वाँ राउण्ड तक शहरी एवं ग्रामीण महिलाओं के डब्ल्यूपीआर में निरन्तर कमी आती गयी। पुरूषों के डब्ल्यूपीआर में 43वाँ, 50वाँ और 55वाँ सर्वेक्षण में कमी और मामूली वृद्धि हुई है जबकि 61वाँ, 66वाँ तथा 68वाँ सर्वेक्षण में डब्ल्यू पी आर दर स्थिर रही है। भारत में महिला कार्यबल सहभागिता 25.5 प्रतिशत है जो बहुत कम है जबकि यह प्रतिशत सोमालिया जैसे राष्ट्र में 37.7 प्रतिशत है।

रोजगार–बेरोजगारी सर्वेक्षण के आधार पर 15 वर्ष तथा ऊपर की सभी आयु के अखिल भारतीय स्तर पर श्रमबल सहभागिता दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात तथा बेरोजगारी दर निम्न तालिका में दर्शायी गयी है।

तालिका–2 रोजगार–बेरोजगार संकेतक (यू0एस) (प्रतिशत में)

मानदण्ड	2012–13			2013–14			2015–16		
	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति
श्रमबल सहभागिता रेट (एलएफपीआर)	76.6	22.6	50.9	74.4	25.8	52.5	75.0	23.7	50.4
कामगार जनसंख्या रेट (डब्ल्यू पी आर)	73.5	20.9	48.5	71.4	23.8	49.9	72.1	21.7	47.8
बेरोजगार रेट (यू0आर0)	4.0	7.2	4.7	4.1	7.7	4.9	4.0	8.7	5.0

स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट 2017–18 श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय, भारत सरकार

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-8* April- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

तालिका–2 से स्पष्ट होता है कि देश में 2012–13 व 2013–14 में एल0एफ0पी0आर0 (महिला) में क्रमशः 22.6 व 25.8 वृद्धि हुई परन्तु 2015–16 में कमी दर्ज की गयी। इसी तरह महिला के डब्ल्यू0पी0आर0 में सन् 2012–13 व 2013–14 में वृद्धि हुई जबकि 2015–16 में महिला कामगार रेट में कमी आयी। वहीं मामूली कमी पुरूषों के एल0एफ0पी0आर0 और डब्ल्यू एफ0पी0आर0 में दर्ज की गयी है। 2015–16 में इनमें भी थोड़ी वृद्धि हुई है। यदि महिलाओं में बेरोजगरी रेट देखा जाये तो 2012–13, 2013–14 तथा 2015–16 में क्रमशः 7.2, 7.7 व 8.7 है जो पुरूषों की अपेक्षा अधिक है। भारत में केवल 23.7 प्रतिशत महिलायें कार्यबल के योग्य है जबकि 75 प्रतिशत पुरूष। 2015–16 में महिला बेरोजगारी रेट सर्वाधिक 8.7 था जबकि पुरूष का 4 प्रतिशत था। श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक कई सालों तक बेरोजगारी दर दो से तीन प्रतिशत के आस पास रहने बाद साल 2015 में 5 प्रतिशत पहुँच गयी इसके साथ ही युवाओं में बेरोजगारी की दर 16.00 प्रतिशत तक पहुँच गयी। स्टेट आफ वर्किंग इण्डिया, 2018 रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 में बेरोजगारी दर पाँच प्रतिशत थी जो पिछले 20 वर्षों में सबसे अधिक है।

तालिका–3, केन्द्रीय ग्रुप 'A' सर्विस में महिलाओं की सहभागिता

विवरण	वर्ष	महिला	पुरूष	कुल योग	महिलाओं का प्रतिशत
भारतीय प्रशासनिक सेवा	2016	838	4088	4926	17%
भारतीय एकोनोमिक सेवा	2014	139	320	459	30%
भारतीय विदेश सेवा	2014	207	2346	2553	8%
भारतीय वन सेवा	2016	111	2480	2591	4%
भारतीय पुलिस सेवा (Central & Group 'A')	2016	349	3429	3778	9%
भारतीय सांख्यिकीय सेवा	2016	173	556	729	24%

स्रोतः 1, डिपार्टमेंट आफ पर्सनल एण्ड ट्रेनिंग
2, इण्डियन एकोनोमिक सर्विसेस वेबसाइट
3, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एण्ड प्रोग्राम इम्पिलीमेन्टेशन

उपरोक्त तालिका में आल इण्डिया तथा सेन्ट्रल ग्रुप 'अ' सर्विसेस में महिलाओं की सहभागिता को दर्शाया गया है। जिसमें सर्वाधिक 30% आफीसर्स भारतीय एकानोमिक सर्विस में है। 17% आई0ए0एस0 महिला अधिकारी है, 24% भारतीय सांख्यिकीय सेवा में, 8% भारतीय विदेश सेवा में और सबसे कम 4% भारतीय वन सेवा में है जो अपेक्षाकृत बहुत कम है। महिलाओं को अवसर प्रदान कर के उनकी ग्रेड 'A' सर्विसेस में सहभागिता में वृद्धि की जा सकती है।

राजनैतिक क्षेत्र

देश में महिलाओं के सशक्त होने का रास्ता राजनैतिक क्षेत्र से होकर जाता है। जब महिला राजनैतिक रूप से सुदृढ़ होगी तो वह अनेक क्षेत्रों में भी अपनी मजबूत स्थिति को सुदृढ़ कर पायेगी। क्योंकि उसके उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रम (देश के उच्च सदन एवं निम्न सदन) संसद में निश्चित किये जाते है जब तक इन सदनों में उसकी भागीदारी सम्मानजनक स्थिति में नहीं होगी तो उसके लिये बनाये गये कार्यक्रम योजनायें तथा कानून का सही ढंग से पालन नहीं हो पायेगा। आजादी के 70 वर्ष बाद भी महिला उपेक्षित है क्योंकि अभी तक महिला आरक्षण बिल संसद में पारित नहीं हो सका है क्योंकि वहाँ पर महिलाओं की उपस्थिति नगण्य है। इसी कारण से बिल आज तक अटका हुआ है किसी बिल के पारित होने के लिये पर्याप्त संख्या का होना नितान्त आवश्यक है। यदि महिलाओं की भागेदारी संसद में पर्याप्त संख्या में होती, जितना उनका मत प्रतिशत है तो उनकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता था। क्योंकि देश का सदन विकास में मुख्य भूमिका में होता है वहीं से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है देश की उच्च एवं निम्न सदनों तथा मन्त्रिपरिषद में महिलाओं की भागीदारी का आंकलन निम्न तालिका से किया जा सकता है–

तालिका–4 उच्च एवं निम्न सदन में महिलाओं की वर्तमान स्थिति

सदन/मिनिस्टर	चयनित सदस्य		कुल सीट	महिलाओं का प्रतिशत
	महिला	पुरूष		
लोकसभा	66	478	534	12.35
राज्य सभा	28	216	244	11.48
केन्द्रीय मंत्री	6	27	33	18
राज्य मंत्री	3	48	51	5.88
विधानसभा	359	3759	4120	9
विधान परिषद	23	427	462	5

स्रोतः (1) लोकसभा सेक्रेटेरिएट
(2) राज्य असेम्बली/काउन्सिल वेबसाइट –6.12.17

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि लोकसभा में 12.35 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहा है जो अपेक्षाकृत बहुत कम है। इसी तरह विधानसभा व विधान परिषद में क्रमशः 9 तथा 5 प्रतिशत तथा केन्द्री मंत्री के

रूप में 18 प्रतिशत के रूप में महिलाओं की भागीदारी है इससे ज्ञात होता है कि महिलाओं की राजनैतिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है। सयुंक्त राष्ट्र (2017) द्वारा महिला राजनैतिक सशक्तिकरण के सन्दर्भ में रैंकिंग'' भारत की रैकिग 193 देशों में 148 वें स्थान पर है जबकि पाकिस्तान 89, बग्लादेश 91 और अफगानिस्तान 99 वें स्थान है जो रैकिंग में भारत से बेहतर है भारत के दक्षिण पडौसी देश श्रीलंका की रैकिंग 179 है जो भारत स अधिक है। भारत महिला कैबिनेट मंत्रियों के सन्दर्भ में 88 वें स्थान पर है जबकि इंडोनेशिया में 25.6 प्रतिशत पद महिलाओं के है।

महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण

महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण एक प्रमुख कारक है उनके विकास और सशक्तिकरण के लिये। यदि महिला मानसिक, शारीरिक, यौगिक, लैंगिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित होती है या उसके विरूद्ध कोई अपराध होता है तो उसका विकास या उन्नति अवरूद्ध हो जायेगा। इसके संरक्षण एवं सुरक्षा के लिये पुख्ता इंतजाम करना चाहिये। भारतीय सरकार ने इसके लिये विभिन्न कानून, योजनायें तथा कार्यक्रमों का निर्धारण किया है और विभिन्न समितियों का गठन किया है। उसकी स्थिति को ज्ञात करने के लिये ('टूवर्डस इक्वलिटी' 1974 नेशनल पर्सपैक्टिव प्लान फॉर वोमेन, 1988–2006) श्रमशक्ति रिपोर्ट 1988 तथा प्लेटफार्म फॉर एक्शन, फाइव इयर आदि कार्य किये है।

वर्तमान में महिलाओं ने जहाँ नये कीर्तिमान स्थापित किये है वहीं उसके साथ प्रताड़ना की घटनाओं में वृद्धि हुई है। 6 माह की बच्ची से लेकर 80 साल की महिला के साथ दुष्कर्म, दहेज न लाने के कारण उसको जलाना या मार देना, कार्य स्थल पर छेड़छाड़ तथा अपहरण आदि अनेक ऐसी घटनायें है जो महिलाओं में असुरक्षा की भावना पैदा करती है जिस कारण महिला का विकास व उन्नति अवरूद्ध होती है और वह अपने आप को सशक्त नहीं कर पाती है। महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

तालिका–5 महिलाओं के विरूद्ध अपराध

अपराध शीर्षक	2014	2015	2016	प्रतिशत भाग (2016 में)	प्रतिशत वृद्धि (पिछले एक वर्ष में)
बलात्कार	36735	34651	38947	11%	12.4%
अपहरण	57311	59277	64519	19%	9.00%
पति और सम्बन्धी द्वारा क्रूरता	122877	113403	110378	33%	-3%
महिलाओं की हत्या	82235	82422	84746	25%	3%
महिलाओं की मर्यादा का अपमान	9735	8685	7305	2%	-16%
दहेज प्रतिबन्ध कानून	10050	9894	9683	3%	-2%
महिलाओं के विरूद्ध कुल अपराध	339457	329243	338954	100%	4%
कुल अपराध (IPC+SLL)	4571663	4710676	4831515	--	--
प्रतिशत अपराध महिलाओं के विरूद्ध (कुल अपराध में)	7%	7%	7%	--	--

स्रोतः क्राइम इन इण्डिया 2016, नेशनल क्राइम रिकार्ड्स व्यूरो, मिनिस्टरी ऑफ होम अफेयर्स, भारत सरकार

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 2016 में सर्वाधिक अपराधिक घटनायें की भागीदारी पति तथा सम्बन्धियों द्वारा क्रूरता 33 प्रतिशत और महिलाओं की हत्या 25 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त 19 प्रतिशत अपहरण और 11 प्रतिशत बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गयी जबकि 2015 की घटनाओं की तुलना 2016 में घटित घटनाओं से करेंगे तो सर्वाधिक बलात्कार की घटनाओं में 12 प्रतिशत वृद्धि हुई है और 9 प्रतिशत अपहरण की घटनाओं में। परन्तु सन् 2016 में कुछ अपराधों में कमी आयी है जैसे दहेज 2 प्रतिशत और महिलाओं की मर्यादा का अपमान की घटनाओं में 16 प्रतिशत की कमी। जबकि देखा जाये तो पिछले तीन वर्षों में कुल अपराध में 7 प्रतिशत अपराध महिलाओं के विरूद्ध हुआ है।

शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति

शिक्षा विकास की आधारशिला है, राष्ट्र के विकसित बनाने के लिये वहाँ के नागरिकों का शिक्षित होना अति आवश्यक है शिक्षा ही सामाजिक विकास का संकेतक होती है नारी समाज का अभिन्न अंग है जिस राष्ट्र में नारी जितनी शिक्षित होगी वह राष्ट्र उतना ही प्रगतिशील होगा। वर्तमान समय में महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर 64.46 प्रतिशत है जो अभी तक सर्वाधिक है यह इस बात की ओर इंगित करती है कि शिक्षा के प्रति महिलाओं में जागरूकता में वृद्धि हुई है। महिलाओं में विगत दशकों में शिक्षा के प्रति लगाव के कारण साक्षरता दर में वृद्धि को निम्न ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-8* April- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

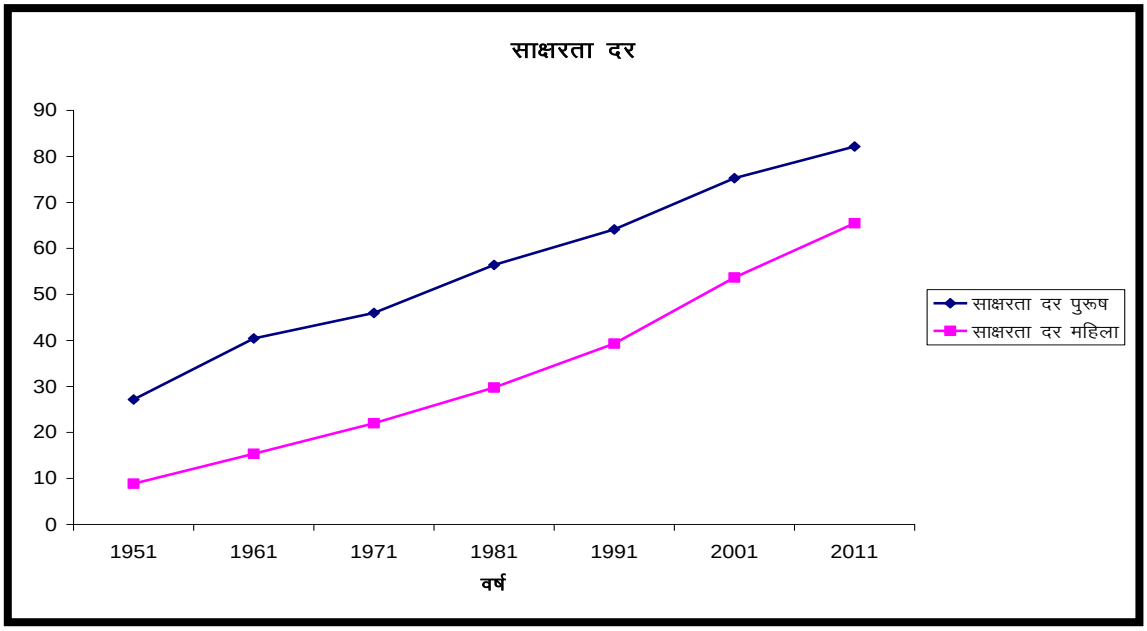

यदि देखा जाये तो स्वतंत्रता के पश्चात् 1951 में महिलाओं की साक्षरता दर 8.86 थी, जो 2011 में 65.46 प्रतिशत हो गयी। उपरोक्त से ज्ञात होता है कि पिछले दो दशकों में महिला साक्षरता दर पुरूषों की अपेक्षा अधिक रही है।

यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक बच्चे है। जिनकी संख्या 444 मिलयन है जो आबादी का 37 प्रतिशत है। वर्तमान में देश में 6 से 14 आयु वर्ग के करीब 22 करोड़ बच्चों में से 14 करोड़ बच्चे ही प्राथमिक विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करा पाये है शेष 8 करोड़ बच्चे अभी भी स्कूली शिक्षा से वंचित है। जिसमें आधी बालिकायें है।

एनसी0पी0सी0आर0 (2018) रिपोर्ट के अनुसार 15–18 आयु की 39.4 प्रतिशत लड़कियों ने किसी भी शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश नहीं लिया है। इसके अतिरिक्त एम0एच0आर0डी0 की रिपोर्ट (एजूकेशनल स्टैटिक्स 2018) में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर लड़कियों का सकल नामाकंन दर (जी0ई0आर0) को दर्शाया गया है– 2015–16 में प्राइमरी में 99.6, सेकेण्डरी 81.6 तथा सीनियर सेकेण्डरी 56.4 दर थी। इसी तरह लड़कियों की विद्यालय छोड़ने की दर 2014–15 में प्राइमरी स्तर 3.88, उच्च प्राइमरी स्तर 4.6 तथा सेकेण्डरी स्तर पर 16.9 थी। भारत में लड़कियों का स्कूल छोड़ने की दर सर्वाधिक है। असर 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 15–16 आयु बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर लड़कियों में 13.5 और 11–14 आयु की बालिकाओं में 4.1 प्रतिशत है। लड़कियों में स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि विभिन्न कारणों से है।

उच्च शिक्षा में लड़कियों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिये उनके नामांकन पर ध्यान देना होगा। 2017–18 में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 36.6 मिलियन था जिसमें 19.2 मिलियन लड़के तथा 17.4 मिलियन लड़कियों का था। उच्च शिक्षा में लड़कियों (18–23) का सकल नामांकन दर (जी0ई0आर) 25.4% थी उपरोक्त से ज्ञात होता है कि स्वतंत्रता के पश्चात् महिला शिक्षा को अपेक्षाकृत जितनी प्रगति करनी चाहिये थी उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि महिलाओं को सशक्त व सुरक्षित बनाने के लिये सर्वप्रथम समाज में पुरूषों की सोच में बदलाव लाना और उनमें महिलाओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण पैदा करना। लड़कियों के साथ बचपन से ही भेदभाव न किया जाये उन्हें आत्मनिर्भर तथा शिक्षित बनाया जाये। हम महिलाओं के विकास व उन्नति के लिये सरकार को दोष देने के बजाय स्वयं उत्तरदायित्व को समझे और उसके विकास में हर सम्भव प्रयत्न करें। जहाँ तक महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण का प्रश्न है। उसके लिये सरकार को संसद, राज्य सभा, विधान सभा तथा विधान परिषद में इनके सीटों को आरक्षित कर देना चाहिये इसके अतिरिक्त महिलाओं को स्वयं जागरूक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिये क्योंकि देश में इनकी आधी आबादी है। महिलाओं के रोजगार के लिये सरकार को रोजगार का सृजन करना चाहिये। इसके अलावा महिलाओं को परिवार की तरफ से पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये कि वह नौकरी या अपना व्यवसाय को चुन सके या वह स्वयं व्यवसाय कर सके जो इसके लिये रोजगार के द्वार खोल सके। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाना है इसके लिए परिवार से लेकर सरकार तक ऐसे कदम

उठाये जाये जिससे कोई भी बच्ची अशिक्षित न रह जाये। पुरूष प्रधान समाज में एक ऐसा माहौल पैदा किया जाये कि किसी भी बच्ची और बूढ़ी महिला के साथ बलात्कार जैसी कुकृत्य घटना न हो। इसके लिये प्रत्येक परिवार को अपने अपने परिवार के पुरूष सदस्यों की सोच में परिवर्तन करके अच्छे विचारों तथा संस्कारों को पैदा करना होगा, क्योंकि उत्पीड़ित महिला किसी की माँ, बहन, बेटी, तथा पत्नी होती है सरकारों को भी निष्पक्ष होकर कानूनों का कड़ाई के साथ लागू करके, अपराधियों को सजा दिलवाये जिससे उनके अन्दर कानून का भय बना रहे। ऐसे अपराधों के लिये त्वरित कार्यवाही होना चाहिये जिससे निर्भया जैसा काण्ड फिर किसी महिला के साथ न हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *वार्षिक रिपोर्ट 2017–18, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।*
2. *वार्षिक रिपोर्ट 2016, क्राइम इन इण्डिया, नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत सरकार।*
3. *एजूकेशनल स्टेटिक्स (2018) ऐट ग्लान्स, एम0एच0आर0डी0 भारत सरकार।*
4. *कानिटकर मुकुल (2015), ''भारत में महिला शिक्षाः समाज व सरकार की भूमिका, योजना पत्रिका, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।*
5. *मेमन,के एण्ड पैक्सन, (2000), वीमेन वर्क एण्ड एकोनोमिक डेवलपमेन्ट, जर्नल ऑफ इकोनोमिक्स परसपेक्टिव14(4) 141–164।*
6. *नेशनल सेम्पल सर्व आर्गनाइजेशन (1993–94), इम्प्लाइमेन्ट–अनइम्प्लाइमेन्ट।*
7. *निशा और वेनथान (2010), पालिटिकल इम्पावरमेन्ट एण्ड पारटिसिपेशन ऑफ वीमेन इन इण्डिया, आई0जे0पी0ए0एम0 अंक 120(4721–4735)।*
8. *सिचुयेशन इन इण्डिया, राउण्ड–50, एम0एस0पी0आई0, गर्वनमेन्ट आफ इण्डिया, नई दिल्ली।*
9. *नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉआपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेन्ट, 2010 स्टेटिक्स आफ वीमेन इन इण्डिया।*
10. *पीटीआई यू0एन0(2017), इण्डिया रैंकिंग इन वीमेन पॉलिटिकल इम्पावरमेन्ट।*
11. *लोकसभा, राज्य असेम्बली/काउन्सिल वेवसाइट–6.12.17।*
12. *वीमेन एण्ड मेन इण्डिया, 2017।*